



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या: 75/2022

दायर दिनांक 12.04.2022

प्रार्थी

- जोरू पुत्र चतरा जाति  
मेघवंशी निवासी थेबड़ी,  
तहसील डीडवाना जिला  
नागौर राज0।

बनाम्

अप्रार्थी

- तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर  
राज0।

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 111 L.R.Act.

उपस्थित:—

- श्री हरफूल राव वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 14.05.2022

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में खसरा सं0 519 वाकै शरहद थेबड़ी की पत्थरगढी किये जाने बाबत है। पत्थरगढी किए जाने पर अप्रार्थी पक्ष को आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्धारित शूलक लेकर खसरा सं0 519 शरहद थेबड़ी की पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

